

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: 3969/स्था0-1/एक-क/15(241)/2016-17/2017-18

दिनांक: 11-5-2018

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1077/37-1-2018-2(5)/2018 टी0सी0 दि0 10.05.18 की पृष्ठांकन प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डा0 प्रमोद कुमार-4, संयुक्त निदेशक, पशुधन विकास, मेरठ।
- 2- डा0 प्रमोद कुमार-3, संयुक्त निदेशक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हापुड।
- 3- डा0 भूदेव सिंह, संयुक्त निदेशक, पैथो0, गोरखपुर।
- 4- मण्डलायुक्त, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा।
- 5- जिलाधिकारी, मेरठ, हापुड, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा।
- 6- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा।
- 7- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मेरठ, हापुड, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ, मेरठ, हापुड, गोरखपुर, मथुरा।
- 9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 10- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 12- प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग-3/पटल सहायक प्रविष्टि सेल, मुख्यालय।
- 13- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपर वाईजर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति पशुपालन के वेबसाइट/सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग के ई-मेल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 14- संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/निदेशक (प्रशासन एवं विकास) मुख्यालय के वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक प्रधान कार्यालय।
- 15- अनु सचिव, पशुधन-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में।

(डा0 कपलेश सिंह)

संयुक्त निदेशक

प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास/प्रशासन)

कार्यालय-आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-493/37-1-2018-2(5)/2018टी0सी0, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 द्वारा पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात किए जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यालय-आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	अधिकारी का तैनाती	नाम/पदनाम/वर्तमान ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती का स्थान
1	डा० प्रमोद कुमार-4, संयुक्त निदेशक, पशुधन विकास, मेरठ	947	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हापुड़।
2	डा० प्रमोद कुमार-3, संयुक्त निदेशक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हापुड़	660	संयुक्त निदेशक, पशु विकास, निदेशालय, लखनऊ।
3	डा० भूदेव सिंह, संयुक्त निदेशक, पैथो०, गोरखपुर	652	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मथुरा।

2- उक्त कार्यालय-आदेश संख्या-493/37-1-2018-2(5)/2018टी0सी0 दिनांक 18 अप्रैल, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- सम्बन्धित अधिकारी आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तदनुसार तत्काल अवमुक्त कर दें; स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

4- स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाए।

डॉ० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव।

संख्या-1077 (1)/37-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (3) संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- (5) सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग।
- (6) गार्ड फाइल।

1305/551 DAP/11/5/18
50 370 (2018-1)

10-5-2018

[Handwritten signature]
11/5

अज्ञा से,
[Handwritten signature]
(रघुवीर प्रसाद)
अनु सचिव।